मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र2351 / 22/वि–12/टी–2/Circular/2015 भोपाल, दिनांक 7/02/2015

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई–.................................
जिला– .... (म.प्र.)

विषय– विचलन प्रकरण के संबंध में।

संदर्भ– 1 इस कार्यालय का पत्र क्र 13788 दिनांक 14/08/2013
2 इस कार्यालय का पत्र क्र 15403 दिनांक 30/11/2007

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये है। तत्संबंध में पुनः निम्न प्रक्रिया का लेख किया जाता है –

1 विचलन प्रकरण को निर्धारित प्रपत्र मं सभी वांछित जानकारियों सहित प्रस्तुत करें।
2 विचलन प्रकरण हेतु निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न करें। (संलग्न)
3 पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।
4 विचलन प्रकरण के साथ कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत करावे।
5 विचलन के कारण पैकेज की स्वीकृत लागत में वृद्धि के समायोजन हेतु बचत का विवरण निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें।
6 विचलन प्रकरण प्राप्त होने के उपरान्त इस कार्यालय द्वारा विचलन समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को आप विचलन समिति के समक्ष Power Point Presentation एवं Photo Graph प्रस्तुत करें जिससे विचलन का औचित्यीकरण सिद्ध हो सके। यदि इस कार्यालय द्वारा प्रकरण के विषय में प्रेक्षण अंकित किये गये है तो उठाए गये बिन्दुओं का समावेश कर निर्धारित तिथि के पूर्व प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित करें।
7 विचलन समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में सुझाएं गए सुधारों पर कार्यवाही कर कार्यवाही विवरण तैयार कर संबंधित सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त करें एवं कार्यवाही विवरण कार्यालय में जमा करें जिससे कि प्रकरण के निवारण में अनावश्यक बिलम्ब न हो। अन्यथा की स्थिति में आपके द्वारा विचलन को प्रस्तुत नही माना जावेगा जावेगा।
8 विचलन स्वीकृति के बिना कार्य कराये जाने की स्थिति में महाप्रबंधक अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होगें साथ ही कराये कार्य से विचलन समिति के संतुष्ट न होने पर कराये गये कार्य की लागत महाप्रबंधक से वसूली योग्य होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं का आवश्यक रूप से पालन करें।

(एम. के. गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ. क्र.2352/ 22/वि–12/टी–2/Circular/2015 भोपाल, दिनांक 7/02/2015

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य महाप्रबंधक, **(समस्त)** मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक, **(समस्त)** मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
3. वित्तीय सलाहकार, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
4. गार्ड नस्ती, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, की ओर सूचनार्थ।
5. प्रबंधक (आई.टी.), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण, मुख्यालय भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि यह पत्र MPRRDA की Website के Circular Section में upload करें।

प्रमुख अभियंता
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क,विकास प्राधिकरण,
भोपाल